कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल बैतूल, (म.प्र.)

पता – कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001
E-Mail : dfotsbetul@mp.gov.in
Ph. & Fax No. 07141-234266

क्र0 / मा.चि. / 453 बैतूल ,दिनांक 24 / 01 / 2022

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग
संभाग क्रमांक–2, बैतूल

विषय :– बैतूल जिले के अन्तर्गत **''मेढ़ा मध्यम परियोजना''** के निर्माण हेतु 20.140 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्र./FP/MP/IRRIE/37074/2018)

संदर्भ :– 1. अ.प्र.मु.व.स.(भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ–3/17/2019/10–11/2/183 दि.17.01.22
2. कार्यालयीन पत्र क्र./638 दिनांक 10.02.2020
3. वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल का पृ. क्र./मा.चि./2851 दिनांक 11.05.2021

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल अन्तर्गत **मेढ़ा मध्यम उद्वहन सिचाई परियोजना** (प्रकरण क्र./FP/MP/IRRIE/37074/2018) में प्रभावित वनभूमि के एवज् में आपके द्वारा पूर्व में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा–नीमपानी, तहसील–घोडाडोंगरी स्थित खसरा नम्बर 88 एवं 90 में रकबा–2.420 हेक्टेयर एवं मौजा–घोड़ाडोंगरी, तहसील–घोडाडोंगरी स्थित खसरा नम्बर 108, रकबा–38.500 हेक्टेयर कुल रकबा–40.920 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मान्य नहीं की गई थी।

पश्चात् मौजा–गोपालपुर, तहसील–घोडाडोंगरी स्थित खसरा नम्बर 1/1, रकबा 242.470 हे. मद बड़े झाड़ का जंगल मद में से खसरा नम्बर 1/5, रकबा–50.00 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि पूर्व से वनभूमि होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मान्य नहीं की गई है। इस प्रकार दोनों ही बार चयनित भूमि उपयुक्त नहीं होने के कारण एवं अन्यत्र भूमि आज दिनांक तक प्रस्तावित नहीं किये जाने के कारण प्रकरण में विलम्ब हो रहा है।

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के संदर्भित के निर्देशानुसार प्रकरण में आवश्यक पूर्ति करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव मुख्य वनसंरक्षक, बैतूल वृत्त, बैतूल को प्रेषित किया जाना है। अतः राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार तथा वन विभाग के उपवनमंडलाधिकारी से आपसी समन्वय स्थापित कर प्रकरण अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित कर प्रस्तावित करें ताकि उसका अभिलेखीय एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता परीक्षण उपरांत ही भूमि हस्तातंरण की कार्यवाही की जाना उचित होगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

24/01

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

पृ0क्र0 / मा0चि0 / 454 बैतूल, दिनांक 24 / 01 / 2022

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक, बैतूल वृत्त, बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर (भू–अभिलेख) शाखा, बैतूल की ओर लेख है कि विषयांकित प्रकरण में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त भूमि चयन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) (सर्व) को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. समस्त उपवनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख है कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक–2, बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) से समन्वय स्थापित कर उपयुक्त भूमि चिन्हाकंन की कार्यवाही पूर्ण करें।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल